# सेबी का विशेष निवेश कोष (SIF)

**स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड**

SEBI ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) नामक एक **नया परिसंपत्ति वर्ग** शुरू किया है। यह उन जानकार निवेशकों के लिये बनाया गया है जो जोखिम वाले निवेश करने में रुचि दिखाते हैं।

**विशिष्ट निवेश निधि (SIF):**

- **SIF, म्यूचुअल फंड (MF)** और **पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (PMS)** के बीच अंतराल को कम करने पर केंद्रित है।
- **इसमें न्यूनतम 10 लाख रुपए का निवेश आवश्यक है जबकि मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिये इस सीमा में छूट दी गई है। SIF से ओपन-एंडेड, क्लोज़-एंडेड और सावधिक निवेश रणनीतियाँ उपलब्ध होंगी।**
- **परिसंपत्ति वर्ग:**
    - **यह निवेशों का** एक ऐसा समूह है जिसकी **विशेषताएँ समान होने के साथ यह समान नियमों** द्वारा शासित होते हैं।
    - **उदाहरण: इक्विटी (स्टॉक),** निश्चित आय (**बॉण्ड**), नकदी एवं नकदी समकक्ष, रियल एस्टेट, वस्तुएँ और मुद्राएँ।

//

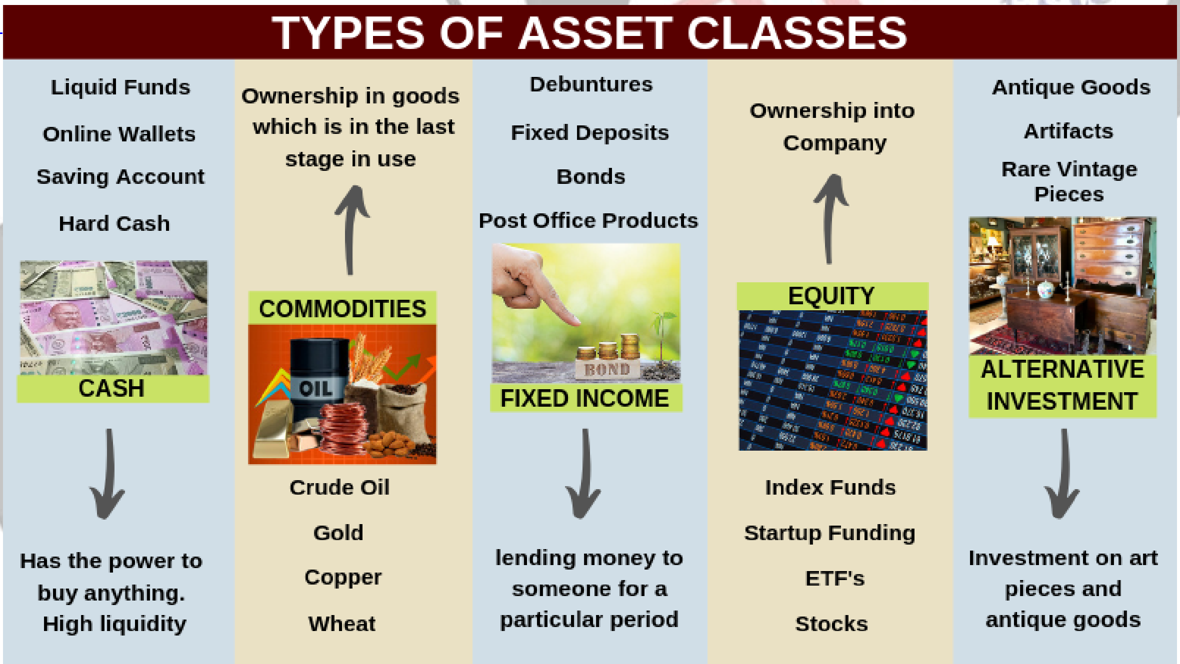


- **MF: ये ऐसे निवेश साधन हैं जिनमें बॉण्ड, स्टॉक** या दोनों के संयोजन जैसी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिये कई निवेशकों से धन एकत्र किया जाता है।
- **PMS:** यह **व्यक्तिगत निवेश प्रबंधन** पहलू है, जहाँ एक **समर्पित पोर्टफोलियो प्रबंधक** निवेशक की विशिष्ट आवश्यकताओं, जोखिम सहनशीलता एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप रणनीति तैयार करता है।
    - MF के विपरीत, PMS गहन शोध के आधार पर पेशेवर प्रबंधन के साथ **अनुकूलित पोर्टफोलियो** प्रदान करता है।
    - इससे आमतौर पर **उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों को लक्षित** किया जाता है और इसमें **उच्च शुल्क शामिल** होता है।
- SEBI द्वारा अनुपालन बोझ को कम करने **के साथ इसमें प्रवेश बाधाओं को कम करने के क्रम में** अधिक हितधारकों को म्यूचुअल फंड बाज़ार में प्रोत्साहित करके **एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF)** एवं **इंडेक्स फंड** जैसी **निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड योजनाओं** को सुविधाजनक बनाने हेतु **म्यूचुअल फंड लाइट विनियम (एक सरलीकृत नियामक प्रणाली)** को भी प्रस्तुत किया गया है।

**और पढ़ें:** [मयूचुअल फंड नियमों में संशोधन]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sebi-introduced-specialised-investment-funds-sifs-